

उत्तराखण्ड के समान नागरिकी संहिता अधियक की मुख्य विशेषताएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्य द्वारा नियुक्त पैनल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, उत्तराखण्ड राज्य विधानमंडल ने समान नागरिकी संहिता ((UCC) अधियक पारित किया दिया।

- आज़ादी के बाद ऐसा कानून लागू करने वाला उत्तराखण्ड भारत का पहला राज्य है।

नोट:

उत्तराखण्ड के नक्सिकदम पर चलते हुए मध्य प्रदेश और गुजरात ने UCC का निर्माण शुरू करने के लिये समितियाँ नियुक्त की हैं।

मुख्य बडि:

- अधियक में आदवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखते हुए, सभी नागरिकों के लिये, उनकी धार्मिक संबद्धता की परवाह किये बना, ववाह, तलाक, संपत्त की वरिसत और सहवास पर एक समान कानून का प्रस्ताव है।
- संवधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिकी संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
 - यह प्रावधान राज् की नीत के नदिशक तत्व (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है, हालाँकि लागू करने योग्य नहीं है लेकिन देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- अधियक का उद्देश्य लवि-इन रलेशनशिप को पंजीकृत करने की बाध्यता लगाकर उन्हें वनियमति करना है।
- यदि लवि-इन रलेशनशिप में रहने वाले जोड़े अपना बयान प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा जिसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू किया जा सकता है।
- धारा 4 के अनुसार, "ववाह के समय किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवति न हो तभी वह ववाह मान्य होता है", इस प्रकार यह धारा द्विववाह या बहुववाह पर रोक लगती है।
- तलाक के संबंघ में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार दिये गए हैं।
- धारा 28 तलाक की कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाती है जब तक कि शादी को एक वर्ष न हो गया हो।
- हालाँकि एक अपवाद बनाया जा सकता है यदि याचिकाकर्त्ता को "असाधारण कठनिई" का सामना करना पड़ा हो या यदि प्रतवादी ने "असाधारण भ्रष्टता" का प्रदर्शन किया हो।
- ववाह और तलाक को नियंत्रित करने वाली मौजूदा मुस्लिम प्रसनल लॉ प्रथाएँ, जैसे- नकिह हलाला, इद्दत एवं तीन तलाक को स्पष्ट रूप से नाम दिये बना अधियक के तहत अपराध घोषित कर दिया गया है।
- यह अधियक सभी वर्गों के बेटों और बेटियों के लिये समान संपत्त अधिकारों का वसितार करता है।
- अधियक LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों को इसके दायरे से बाहर रखता है और केवल वषिमलैंगिक संबंघों पर लागू होता है।